रामुराम बनाम बोदुराम वगै.
मुकदमा नम्बर 6/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

रामुराम पुत्र भेरूराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी खाखडकी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. बोदुराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
2. सम्पतिदेवी पत्नि रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
3. किशनलाल पुत्र रामेश्वर नाबालिक जरिये सरंक्षक माता सम्पति देवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
4. धारादेवी पुत्री रामेश्वर नाबालिक जरिये सरंक्षक माता सम्पति देवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
5. बनवारी लाल पुत्र रामेश्वर नाबालिक जरिये सरंक्षक माता सम्पति देवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
6. कोमल पुत्री रतनीदेवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
7. गेदी पुत्री रतनीदेवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
8. राधेश्याम पुत्र रतनीदेवी जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
9. गीतादेवी पुत्री मगनाराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
10. चैनादेवी पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
11. छोटीदेवी पत्नि लादुराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
12. जगदीश पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
13. नाथीदेवी पुत्री लादुराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
14. नारायणराम पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
15. प्रभुराम पुत्र मगनाराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
16. रूकमादेवी पुत्री मगनाराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी तहसील नावां।
17. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा सांभर लेक।
18. राज. सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां भूमिधारी।

<u>दावा वास्ते इस्तकरार हक व भू–विभाजन</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित :–श्री जग्गाराम अधिवक्ता वादी

मुकदमा नम्बरः–6/2022 निर्णय दिनांकः– 09.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:58 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के [illegible] इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित [illegible] असली भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 3.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 1.80 है[illegible], खसरा नम्बर 386 [illegible] 1.63 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नम्बर 387 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.33 हैक्टर कुल रकबा 9.56 हैक्टर भूमि स्थित हैं। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस खेत खसरान बतौर सबूत दावा के साथ पेश किये। उपरोक्त खसरा आराजीयान भूमि में से वादी रामुराम का 1/2 हिस्सा कब्जे शुदा खातेदारी का राजस्व रिकॉर्ड में स्थित चला आ रहा हैं तथा उपरोक्त खसरान भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर भूमि में वादी को भौतिक बंटवारा अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादी व प्रतिवादगण व उनके पूर्वजों ने मौके पर आज से करीबन 20—30 वर्ष पूर्व ही भौतिक बंटवारा कर लिया था तथा भौतिक बंटवारे अनुसार ही अपने अपने हक व हिस्से में आई भूमि पर सींव डोल लगाकर सीमा कायम कर काश्त करते चले आ रहे है तथा उक्त खसरान की भूमि में से अपने हक हिस्से की भूमि पर निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त खसरा आराजीयान की भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि स्थित हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का विधिवत भू—विभाजन करने हेतु कहां तो प्रतिवादीगण इतने दिनों तक वादी को आश्वासन देते रहे लेकिन अब इन्होने विधिवत भू—विभाजन करवाने हेतु स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी भौतिक कब्जे अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमि का भू—विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी हैं। मौजा ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 3.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.33 हैक्टर कुल रकबा 9.56 हैक्टर भूमि में वादी की 1/2 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी की भूमि का भौतिक कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू—विभाजन किया जावे इस आशय की इस्तकरार हक व भू—विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8, 17 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये जाने के बावजूद एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 9 ता 16, 18 के तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद अनुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी रामुराम, पी.डब्ल्यू.2 गवाह हनुमान पुत्र कल्याण जाति मेघवाल निवासी खाखडकी व पी.डब्ल्यू.3 गवाह हरिराम पुत्र श्योराम जाति मेघवाल निवासी खाखडकी के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 3.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.33 हैक्टर कुल रकबा 9.56 हैक्टर भूमि में वादी की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार भू–विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा ग्राम खाखड़की तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 350 रकबा 3.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 1.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 386 रकबा 1.63 हैक्टर, खसरा नम्बर 387 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 रकबा 1.33 हैक्टर कुल रकबा 9.56 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:07:58 IST
Reason: SelfAttested